

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर राशमी(पीठासीन अधिकारी कैम्प कोर्ट) कैम्प :- भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र **मरमी**.....प्रशासन गांवों के संग
अभियान-2021प्रशासन गांवों के संग
अभियान-2021

-: आदेश :-

प्र0सं0 :- **185/2021**

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" के आवेदन पत्र एवं रिपोर्ट पटवारी पटवार हल्का **मरमी**....., भू अ0नि0 वृत्त **र.र.र.**..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार राशमी की राजस्व अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में मौजा **मरमी**..... तहसील राशमी व जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्वत् **2073**..... के खाता संख्या **262, 263, 637, 636** में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिये जाते है :-

क्र. सं.	मौजा	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	मरमी	262	भोना पिल रामा	भयानीराम पिला रामा
	मरमी	263	भोना पिल रामा	भयानीराम पिला रामा
	क-	637	भोना पिल रामा	भयानीराम पिला रामा
	क-	636	भोना पिल रामा	भयानीराम पिला रामा
	मरमी	635	भोना पिल रामा	भयानीराम पिला रामा



सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

राशमी

क्रमांक: सरिश्ता/5-11(185)2021

दिनांक :- **12/10/2021**

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, राशमी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री **भयानीराम पिला रामा** को सूचनार्थ।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

राशमी

(उपखण्ड अधिकारी)

राशमी

12/10/21

